20/07/22 पत्रावली पेश। अधिवक्ता वादी एवम् प्रतिवादी उपस्थित। बहस सुनी गई।

वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवम् बहस में मुख्य दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि का कुछ हिस्सा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा

तारीख हुक्म

भारतमाला के निर्माण हेतु अवाप्ति की गई है। उस पत्रावली में दिए गए अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की वजह से अप्रार्थीगण अपने हिस्से की अवाप्तशुदा भूमि का भुगतान नहीं उठा पा रहे हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा दलील दी गई कि राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि अवाप्ति के संबंध में प्रक्रिया एवम् नियम राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवम् भूमि अधिग्रहण कानून एक्ट 2013 के प्रावधानों तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस न्यायालय को मुआवजा राशि के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार एवम् शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। इस बाबत अनुतोष हेतु सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

अदालत ____________ बनाम ____________

____________ नं. ____________ सन् ____________

मुकदमा ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	वकील प्रार्थी द्वारा
	मुख्य दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक-हिस्सा एवम् अधिकार जन्म से निहित है चूंकि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 की पैतृक भूमि है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा को यथावत रखा जावे अन्यथा अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान एवम् हस्तांतरण कर देंगे। वकील प्रार्थी द्वारा बताया गया कि अप्रार्थीगण पूर्व में भी इस भूमि में से बेचान कर चुके है एवम् इस बेचान को निरस्त करवाने बाबत सिविल न्यायालय में दावा प्रक्रियाधीन है।

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बहस पर मनन किया गया

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलील पर विचार किया गया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि यदि स्थगन आदेश को प्रभावहीन किया जाता है तो वादी को नुकसान होना तय है। अतः स्थगन आदेश को अप्रभावी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। परंतु वकील प्रतिवादी द्वारा भारतमाला के अवार्ड (मुआवजा) संबंधी दलील पर विचार किये जाने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मुआवजा संबंधी अनुतोष प्रार्थी सक्षम न्यायिक प्रावधानों के तहत उचित न्यायालय से प्राप्त कर सकता है।

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अतः यह न्यायालय भूमि अवाप्ति के अवार्ड/मुआवजा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा का ~~आ~~ आदेश ता फैसला वाद तक आंशिक रूप में बढ़ाया जाता है। भारतमाला में अवाप्त भूमि के ~~मुवाअजे क~~ मुआवजे के संबंध में ये आदेश निष्प्रभावी होगा। शेष आदेश जिसमें अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान एवम् हस्तांतरण शामिल है यथावत रहेगा। चूंकि अप्रार्थी संख्या एक, दो, एवम् तीन को छोड़कर शेष द्वारा इकबालिया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में आ...
	जवाब पेश किया गया है अथवा एकपक्षीय कारवाई की गई है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा ऊपर वर्णित आंशिक बदलाव, जिसमें मुख्यतः भूमि अवाप्ति के दौरान मुआवजे पर इस आदेश के निष्प्रभावी होने से संबंधित है, किया जाकर ताफैसला वाद तक यथावत रखी जाती है। पत्रावली इसी स्तर पर समाप्त की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जाये। [illegible] 20/07/2022 (राजकेश मीना) सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जोधपुर	